

सेवा में

श्री गोपाल महतो,
सामलौंग, नामकुम,
राँची ।

विषय:- मौजा-सामलौंग, प्लॉट नं०-23 & 25, खाता नं०-20 & 34, वार्ड नं०-00, थाना-212, सामलौंग, बेल बगान, चुटियाँ, राँची, में प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह ।

उपर्युक्त विषयक ऑनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची से कराई गई। उनके ज्ञापांक-373, दिनांक-08.07.18 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त प्रस्तावित आवासीय भवन निर्माण हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. प्रस्तावित भवन के सामनेवाले भाग में अग्निशामन कार्य हेतु पचास हजार लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय ।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में अग्निशामन वाहनों को इस टैंक से पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय ।
3. प्रस्तावित भवन में 20,000 (बीस हजार लीटर) क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय ।
4. प्रस्तावित भवन के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी में ओभर हेड टैंक से जुड़ा हुआ एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का निर्माण कराया जाय, जिसके प्रत्येक तलों पर 63mm डिलिवरी आउटलेट एवं कम से कम 30 मीटर लम्बा होजरील होज का संस्थापन कराया जाय । डिलिवरी आउटलेट के पास दीवार में एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखे जाने की व्यवस्था की जाय ।
5. प्रस्तावित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास सतही तल पर थ्रीवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय ।
6. प्रस्तावित भवन के अग्निशामन कार्य हेतु पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1650 ली०/मि० क्षमता का फायर पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय ।
7. जाँकी पम्प का संस्थापन कराया जाय ।
8. प्रस्तावित भवन में टेरेस पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय ।
9. प्रस्तावित भवन के फायर स्केप रूट वाली सीढी को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किये जाँय ।
10. प्रस्तावित भवन के मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों को कम से कम दो घंटा अग्नि-रोधी फायर चेक डोर से सुरक्षित किया जाय ।
11. प्रस्तावित भवन के विद्युत मेन कंट्रोल पैनल को Fire Suppression System से सुरक्षित किया जाय ।
12. प्रस्तावित दोनों लिफ्टों में से किसी एक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय ।
13. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से हीं कराये जाँय ।

14. प्रस्तावित भवन के सामनेवाले भाग में मानक के अनुरूप 12 मीटर चौड़ा, ठोस, समतल एवं खुला स्थान हर समय उपलब्ध रखा जाय, ताकि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में हाईड्रोलिक प्लेटफार्म से अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो।
15. प्रस्तावित भवन में प्रति 400 वर्गफीट अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
16. प्रस्तावित भवन में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसका हूटर भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
17. प्रस्तावित भवन में तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाए।
18. प्रस्तावित भवन के किसी भी बालकोनी को ग्रील लगाकर पूर्णतः अवरूद्ध नहीं किया जाय।
19. प्रस्तावित भवन के सामनेवाले भाग में दो यार्ड हाईड्रैण्ट का संस्थापन कराया जाय। हाईड्रैण्ट के पास एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय, जिसमें दो लेन्थ डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच विथ नोजल रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
20. प्रस्तावित भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
21. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
22. प्रस्तावित भवन के किसी भी भाग में बाद में Plan या Nature of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करें।
23. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

(राम कृष्ण ठाकुर)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।